पत्रांक :– 3/संपुष्टि–3006/2004 का॰ 1185

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा वि

प्रेषक,

एन0 एन0 सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
झारखंड।

राँची, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

विषय :– सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों को सशर्त्त कालबद्ध प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 192 दिनांक 19.02.1986 द्वारा यह निदेश संसूचित किया गया था कि विशेष परिस्थिति में सचिवालय एवं संबद्ध कार्यालयों के ऐसे सभी सहायकों को, जो दस वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर, किन्तु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता नहीं करने के बावजूद, अन्य सभी अर्हतायें पूरी करते हैं, उन्हें इस शर्त्त पर प्रवर कोटि सहायक के पद पर कालबद्ध प्रोन्नति दे दी जाय कि वे अगली दो सहायकों की विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा जिस तिथि से दूसरा परीक्षाफल घोषित होगा, उस तिथि से उन्हें सहायक के अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 दिनांक 08.02.1999 द्वारा कालबद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। फलतः दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान में कालबद्ध रूप से कनीय प्रवर कोटि सहायक के वेतनमान में प्रोन्नत सहायक मूल कोटि सहायक के वेतनमान रू0 5500–9000 में स्वतः प्रत्यावर्तित हो गये।

3. विभाग के संज्ञान में ऐसे मामले आये हैं, जिनमें सशर्त्त कालबद्ध प्रोन्नति प्राप्त सहायकों की दूसरी विभागीय परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 01.01.1996 के पश्चात् घोषित हुआ है एवं सशर्त्त कालबद्ध प्रोन्नति प्राप्त सहायक दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाये हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 192 दिनांक 19.02.1986 के प्रावधानानुसार प्रत्यावर्तित होने पर दिनांक 01.01.1996 को वेतन निर्धारण में कालबद्ध प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त stage benefit वापसी की समीक्षा की गई एवं यह पाया गया कि दूसरी विभागीय परीक्षा के परीक्षाफल घोषणा की तिथि तक प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त वेतन का लाभ वसूल करना संकल्प की मूल भावना के प्रतिकूल है।

4. अतः सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि उपर वर्णित मामलों में दूसरी सहायक विभागीय परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि तक प्राप्त Stage benefit वसूलनीय नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/- 15.10.2012

(एन0 एन0 सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।